UPUN010034062026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

तेज बहादुर पुत्र सोहनलाल निवासी ग्राम पारा थाना मौरावां जिला उन्नाव।

....अभियुक्त।

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) उन्नाव। ..... विपक्षी।

दिनांकः—04.06.2026

अभियुक्त तेज बहादुर ने, यह जमानत प्रार्थना—पत्र मु0अ0सं0—690/2025 धारा—103(1) बी0एन0एस0 थाना मौरावां जिला उन्नाव, में प्रस्तुत किया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

अभियोजन के अनुसार संक्षेप में मामले के तथ्य है कि वादी मुकदमा राकेशचन्द्र पुत्र स्व0 भगवानदीन गौतम निवासी पारा थाना मौरावां जनपद उन्नाव ने इस आशय की तहरीर थानाध्यक्ष मौरावां को दी कि उसका भाई इन्द्र बहादुर उर्फ बहादुर आज दिनांक 30.12.2025 को लाला लोध की दुकान से समय करीब 3.30 शाम को अपने घर की तरफ आरहा था, तभी रास्ते में महादेव के घर के पास जगह के विवाद को लेकर उसके भाई को रोक कर तेजबहादुर, सोहन द्वारा भाई के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी, जिससे वह अचेत होकर गिर गया, जिसे सौ शैया बेड इलाज हेतु ले जाया गया, जहॉ डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अतः निवेदन है कि अभियुक्त के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने की कृपा करें।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि उसको राजनैतिक दबाव के चलते झूठा फॅसाया गया है। उक्त मुकदमा के वादी मुकदमा व थाना पुलिस की मिलीभगत से मोटी रकम लेकर मुख्य अभियुक्त अजीत सिंह पुत्र शान बहादुर सिंह से सांठ गांठ करके उसका नाम तहरीर से हटाकर प्रार्थी तेज बहादुर व उसके पिता सोहनलाल का नाम शामिल करके रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, जिससे उनका जीवन बरबाद हो सके। आज से कुछ वर्ष पूर्व दिनांक 05.01.2022 को इन्द्र बहादुर उर्फ बहादुर व उनके भाई नरेश, नन्हकऊ, गुड्डू ने उपरोक्त अजीत सिंह के साथ मारपीट की थी, जिसका मुकदमा अजीत सिंह अ0सं0 4/2022 धारा 323,504,506 भा0दं0सं0 में पंजीकृत कराया था, जिसमें दौरान विवेचना 324,336/34 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी थी, जिसका मुकदमा जे0एम0 पुरवा न्यायालय में विचाराधीन है। पूर्व में मृतक इन्द्र बहादुर उर्फ बहादुर ने भी अजीत सिंह पर एक अपराध संख्या 542/2021 धरा 323,504 भा0दं0सं0 व 3(2)5ए एस0एस0टी0 मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसका एसटी नं0 432/2022 है जो विशेष न्यायाधीश एससी—एसटी उन्नाव के न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित रंजिश के चलते अपराध संख्या 690/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 अजीत सिंह द्वारा कारित किया गया, न कि सोहनलाल व तेजबहादुर द्वारा किया गया। जिसमें पुलिस मुख्य अभियुक्त को बचा रही है तथा निर्दोषों के

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.06.04 14:23:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नाम अभियोग पंजीकृत किया गया, जबकि प्रार्थी व उसके पिता निर्दोष है। मुख्य अभियुक्त अजीत सिंह ने सार्वजनिक तौर पर घटना कारित करने के उपरांत पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी भी उसी दिन की गयी तथा उसको घटना कारित करते हुए अगल बगल वालों ने देखा, परन्तु धारा 1 में वर्णित दबाव व मिली भगत के चलते प्रार्थी व उसके पिता को घर से पूछतांछ के बहाने से बुलाकर थाना पुलिस ने फर्जी तरीके से थाने में बैठाकर गिरफ्तारी व फर्जी बरामदगी दिखाकर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी व पूंछतांछ के विषय में अपराध संख्या के विवेचक द्वारा अपनी प्रेस वार्ता में दिनांक 31.12.2025को अमर उजाला के पत्रकार को उपरोक्त घटना से सम्बन्धित बनावटी स्टोरी बताते हुए कहा कि दोनों अपराध तेज बहादुर व सोहनलाल की गिरफ्तारी कर पूंछताछ चल रही है, जिसका प्रकाशन अमर उजाला द्वारा दिनांक 01.01.2026 को अपने पृष्ठ–3 पर छाया गया है, जिससे पूर्णतया संदेह है कि पुलिस ने जो गिरफ्तारी दिनांक 02.01.2026 को दिखाई, वह फर्जी है। प्रार्थी की संलिप्तता झूठी प्रतीत होती है। थाना पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से उक्त वाद में मुख्य आरोपी अजीत सिंह को बचाने का राज खुल न जाये क्योंकि अजीत सिंह द्वारा बार–बार उक्त हत्या कारित करना व बदला लेना अपने द्वारा सार्वजनिक स्थल पर कहा जा रहा था। इसलिए अजीत सिंह को एक फर्जी वाद 202610690200998 न्यायालय उप जिलाधिकारी पुरवा धारा 170,126,135, बीएनएस शांति भंग में दिनांक 03.01.2026 को चालान कर जेल भेज दिया और क्षेत्र में झूठी अफवाह फैला दी गयी थी। मुख्य आरोपी जेल चला गया जिससे मामला शांत पड़ जाये। अजीत सिंह चालानी रिपोर्ट में उ0नि0 द्वारा अपने रिपोर्ट में गिरफ्तारी का समय नहीं डाला, वह जगह खाली छोड़ रखी और पुलिस द्वारा चालानी रिपोर्ट में घटना को तोड़ मरोड़ कर अजीत का रोल अलग किया, जबकि जो तथ्य बचाव के प्रार्थी द्वारा अपने उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र में लिये गये वह अजीत सिंह के चालानी रिपोर्ट से मिलते जुलते है जिससे प्रार्थी पर लगा जुर्म झूठा साबित होता है। वादी मुकदमा द्वारा अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट व अपने मुख्य बयान सीडी के पर्चा सं0 2 व 3 में कही भी यह नहीं बताया गया कि उक्त घटना के बाबत उसको किसने सूचना दी और घटना दोनों अभियुक्तों द्वारा कारित करना कहा गया है जिससे प्रार्थी पर लगा जुर्म झूठा साबित होता है। सीडी के पर्चा सं0 2 में विवेचक द्वारा बनाये गये मुख्य चश्मदीद गवाह मृतक की सगी बहन पुष्पा के बयान में यह कहा गया कि उक्त घटना तेजबहादुर द्वारा कारित की गयी है, जबकि वादी मुकदमा द्वारा दोनों के द्वारा वारदात कारित करना कहा गया है जिससे दोनों के बयानो में विरोधाभाष है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 20.01.2026 से जेल में निरूद्ध है।

अभियोजन का कथन है कि मामला गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उन्नाव को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों व अन्य सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। उसको रंजिशन झूठा फंसाया गया है, इस मामले

की घटना अजीत सिंह द्वारा कारित की गयी है, जबकि अजीत सिंह के नाम रिपोर्ट न लिखकर प्रार्थी व उसके पिता के नाम झूठी रिपोर्ट लिखा दी गयी है। कुल्हाड़ी की फर्जी बरामदगी दिखाते हुए फर्जी साक्ष्य तैयार किया गया। अतः उसके द्वारा जमानत छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी।

अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्त ने मृतक इन्द्रबहादुर उर्फ बहादुर के सिर पर कुल्हाड़ी मार कर हत्या की गयी है और अभियुक्त के पास से आलाकत्ल कुल्हाड़ी बरामद की गयी है। सहअभियुक्त सोहनलाल की जमानत पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु सिर में आयी चोट के कारण उत्पन्न सदमा रक्तस्राव से होना पाया गया है। अभियुक्त पर लगाया गया आरोप अत्यंत गम्भीर प्रकृति का है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत के आधार पर्याप्त नहीं है तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त तेज बहादुर द्वारा मु0अ0सं0–690/2025 धारा–103(1) बी0एन0एस0 थाना मौरावां जिला उन्नाव, में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1437/2026, निरस्त किया जाता है।

दिनांक–04.06.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
जेओ कोड यूपी6552